न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 318/2019 (195/2018)

GCMS NO. : 2018/00089

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. भंवरलाल पुत्र बीन्जा 2. जवरीलाल पुत्र बीन्जा जाति मेघवाल निवासी खेड़ा रामगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तेजाराम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ा रामगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली। 2. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थितः–
1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/06/2022**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–खेड़ा रामगढ पटवार क्षेत्र सांगावास तहसील जैतारण में प्रतिवादी संख्या 01 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1481 रकबा 03–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल वादीगण एवं संख्या 1 अव्वल आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है। उक्त कृषि भूमि का मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में उतर दिशा में लाल रंग से बताये खेत पर वादीगण का कब्जा है तथा नक्शे में बताये दक्षिण दिशा में हरे रंग से बताये गये खेत पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा है तथा वादीगण व प्रतिवादी अपने खेतों में पूर्वी और आगेवा से कुशालपुरा जाने वाले रास्ते से आते जाते है। तथा दोनों के खेतों के बीच माठ कायम है। माठ पूर्व से पश्चिम है। उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी में सामलाती खातेदारी में दर्ज है। इसलिए उक्त कृषि भूमि में बताये नजरी नक्शेनुसार बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है जिससे खातेदारान के बीच प्रेम भाव बना रहे व भविष्य में कोई कटुता पैदा न हो तथा [illegible] भूमि होने से वादीगण को अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त [illegible] परेशानी होती है तब वादीगण ने दिनांक 05/07/2018 को बंटवारा [illegible] कहा तो प्रतिवादी स्पष्ट इन्कार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हुआ इतना ही नहीं दिनांक 10/07/2018 को वर्षा होने पर प्रतिवादी ने दोनों खेतों के बीच मांठ को भी टेक्टर से खुर्द-बुर्द कर दिया। दिन में वादीगण अपने खेत पर गये तो मांठ को खुर्द-बुर्द पाया तब वादीगण प्रतिवादी के पास गये व कहा कि मांठ को खुर्द-बुर्द क्यों किया यह धमकी दी कि अभी तो माठ को खुर्द-बुर्द किया है अब तुम्हे खेत से भी बेदखल करेंगे। प्रतिवादी के उक्त गैरकानूनी कृत्य से वादीगण अपने हक व अधिकारों से महरूम होगा। उपरोक्त कारणों से वादीगण ने वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 05/07/2018 को वादीगण ने प्रतिवादी को बंटवाड़ा हेतु कहा तो इन्कार हुआ तथा दिनांक 10/07/2018 को प्रतिवादी ने खेतों के बीच मांठ को खुर्द-बुर्द करने का ओलबा देने पर वादीगण को उनके खेत से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम खेडा रामगढ पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला- पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र, इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा खेड़ा रामगढ़, पटवार हल्का सांगावास, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 1481 रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल सम्वत् 2072-2075 आदि का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा खेड़ा रामगढ़, पटवार हल्का सांगावास, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 1481 रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/518 दिनांक 04.07.2019 एवं पत्रांक/कोर्ट/2021/ 178 दिनांक 16.07.2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/3176 दिनांक 09/05/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 को ग...

अंतिम बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन ... डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया गया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा खेड़ा रामगढ़, पटवार हल्का सांगावास, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 1481 रकबा 03-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जवरीलाल पुत्र बींजा कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1481	0.1356	बा. अ.	0.085
2.	भंवरलाल पुत्र बींजा कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1481/1	0.1356	बा. अ.	0.085
3.	तेजाराम पुत्र गोपाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1481/2	0.2711	बा. अ.	0.170

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

–:: वादीगण ::– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. भंवरलाल पुत्र बीन्जा
2. जवरीलाल पुत्र बीन्जा

जाति मेघवाल निवासी खेड़ा रामगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तेजाराम पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ा रामगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 318/2019 (195/2018)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा खेड़ा रामगढ़, पटवार हल्का सांगावास, तहसील जैतारण में स्थित खसरा नंबर 1481 रकबा 03–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जवरीलाल पुत्र बींजा कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1481	0.1356	बा. अ.	0.085
2.	भंवरलाल पुत्र बींजा कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1481/1	0.1356	बा. अ.	0.085
3.	तेजाराम पुत्र गोपाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	1481/2	0.2711	बा. अ.	0.170

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....रू.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenwer
Date: 2022.10.06 11:29:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2022 को जारी किया गया।
मोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज०)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	2.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः-	7.00	मिजानः-	0.00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:29:28 IST
Reason: SelfAttested